सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/17 **निर्णय दिनांकः 12.2.2018**

1. फौजाराम पुत्र उदाराम जाति मेधवाल निवासी गांव सियाणा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–03–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–
1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 30–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित रकबा किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 12 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 219/28 में किला नम्बर 15, 16 व 25 में 3

बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 4 ता 7, 17, 18, 21 ता 24 में 10 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 219/63 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार 35 बीघा अनकमाण्ड व 3 बीघा कमाण्ड कुल 38 बीघा भूमि का आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि की कुछ किश्तें भी अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई। उसके बाद अपीलांट के पास किश्तें जमा कराने हेतु कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस प्रदान किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज कर दी गई व कालांतर में अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 को पारित किया गया है जिसके विरूद्व अपीलांट ने अपील दिनांक 06—04—2017 को पेश की है। अपील में मियांद कण्डोन करने के लिए संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 को पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट को चक 12 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 219/28 में किला नम्बर 15, 16 व 25 में 3 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 4 ता 7, 17, 18, 21 ता 24 में 10 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 219/63 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार 35 बीघा अनकमाण्ड व 3 बीघा कमाण्ड कुल 38 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् किश्तें भी जमा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का बिना नोटिस प्रदान किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांट के आवंटन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट बावजूद नोटिस देने के बाद भी किश्तें जमा नहीं कराई गई है। जबकि पत्रावली के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि को खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस दिया जाना प्रतीत नहीं होता है।

(4) पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती।

(5) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच करनी चाहिए थी कि क्या न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील पक्षकार को विधिवत रूप से हो चुकी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट का आवंटन आदेश बिना सूचना के खारिज किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त कोलायत का आदेश दिनांक 30—03—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है अपीलांट को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते उसकी पात्रता की जॉच करते हुए उसी किस्म की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर